"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जून 2002—ज्येष्ठ 24, शक 1924

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2002

क्रमांक एफ-1-2/2002/1-8/स्था.—श्री संजीव बक्शी, स्थानापन्न विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री के. के. बाजपेयी, स्थानापन्न विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानापन्न अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंदिरा मिश्रा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2002

क्रमांक 1562/700/साप्रवि/2002/1/2.—श्री जी. एस. मिश्रा, उप-सचिव, ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग को इस विभाग के

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

आदेश क्रमांक 405/292/साप्रवि/2002/1/2, दिनांक 12-2-2002 में संशोधन करते हुए श्री मिश्रा को दिनांक 5-2-2002 से 2-3-2002 के स्थान पर दिनांक 11-2-2002 से 30-3-2002 (48 दिवस) तक का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. दिनांक 10 फरवरी 2002 एवं 31 मार्च 2002 को सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मिश्रा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्यरत रहते.

3. अवकाश काल में श्री जी. एस. मिश्रा, को अवकाश वेतन व अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश से पूर्व मिलते थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. मिश्रा को उप-सचिव, ग्रामीण विकास विभाग में अस्थाई रूप से पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विभा चौधरी, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2002

क्रमांक 43/पर्यटन/छ.ग./2002.—राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी होने के दिनांक से छत्तीसगढ़ राज्य की पर्यटन नीति का निर्धारण किया जाता है.

छत्तसीगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय पाल सिंह, सचिव.

छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति

विषय सूची

प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन एक नये राज्य के लाभ का पूर्ण फायदा उठाने हेतु दृढ़ संकल्पित है. राज्य शासन ने गहन सोच उपरान्त निर्णय लिया है कि वह पुरानी पद्धति को छोड़कर आर्थिक विकास की नवीन दृष्टिकोण को अपनायेगा. पर्यटन नीति इस नये सोच को प्रदर्शित करती है. यह किसी पूर्व नीति का परिवर्तित स्वरूप नहीं है. परन्तु अन्य भारतीय राज्यों एवं आस-पास के विभिन्न देशों की उत्कृष्ट रीतियों के विस्तृत विश्लेषण पर विकसित की गई है.

1.0 परिकल्पना एवं उपाय

भारत के हृदय में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य समृद्ध सांस्कृतिक विरासत एवं आकर्षक प्राकृतिक विविधता से सम्पन्न है. राज्य में प्राचीन स्मारक, लुप्त प्राय वन्य प्राणी प्रजातियां, नक्काशीदार मंदिर, बौद्ध स्थल, महल, जलप्रताप, गुफाएं एवं पहाड़ी पटारों का बाहुल्य है. इनमें ज्यादातर स्थल आज भी अछूते एवं अज्ञात हैं एवं एक अद्वितीय अनुभव पर्यटक को देने में सक्षम हैं, जो कि अन्य पारम्परिक पर्यटन स्थलों में भीड़-भाड़ होने के कारण, सामान्यत: नहीं प्राप्त हो पाता है.

पर्यटन का अन्य संकाय जैसे उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, इत्यादि के साथ अत्यन्त करीब का संबंध है. छत्तीसगढ़ शासन उक्त अंतर्संबंधों एवं पर्यटन की महत्ता को स्वीकारते हुये इनका उपयोग बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने एवं सामाजिक सद्भाव विकसित करने में करना चाहता है.

पर्यटन नीति, राज्य की एक अद्वितीय छवि स्थापित करके उसे एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य स्थल के रूप में विकसित करने पर केन्द्रित है. पर्यटन नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं :—

* प्रदेश में आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पारस्थितिकीय दृष्टि से संवहनीय पर्यटन को प्रोत्साहित करना.
* छत्तीसगढ़ में पर्यटन अनुभव की गुणवत्ता एवं आकर्षता को सुदृढ़ करना.
* राज्य की समृद्धि एवं विविध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार करना.
* आर्थिक विकास एवं संबंधित क्षेत्रों में पर्यटन के योगदान में वृद्धि करना.
* पर्यटन संबंधित अधोसंरचना के विकास में निजी निवेशकों के प्रयत्नों को प्रोत्साहित करना.

* शासन की भूमिका को सुविधापरक में परिवर्तित करना.
* पर्यटन के क्षेत्र में नई अवधारणाएं जैसे: टाईम शेयर, इको पर्यटन, ग्राम पर्यटन, साहसिक पर्यटन आदि को बढ़ावा देना.
* स्थानीय समुदाय की बौद्धिक सम्पदा एवं अधिकारों को सम्मान देना.

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिये, राज्य द्वारा कुछ विशिष्ट प्रयास रेखांकित किये गये हैं, जो निम्नानुसार वर्गीकृत किये जा सकते हैं :—

* अधोसरंचना एवं संस्थागत विकास
* पर्यटन उत्पाद प्रदाय
* विपणन.

उपरोक्त नीति का क्रियान्वयन करते समय, राज्य केवल उन प्रयत्नों को प्रोत्साहित करेगा जिससे की पर्यटन क्षेत्र का संवहनीय विकास होता हो एवं पर्यावरण का संतुलन बना रहे. इसके अतिरिक्त राज्य सरकार, स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी एवं राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगी.

उपरोक्त उद्देश्य प्राप्ति हेतु राज्य उपयुक्त कानून पारित करेगा एवं पर्यटन क्षेत्र के विकास एवं पर्यटन नीति के क्रियान्वयन हेतु राज्य पर्यटन विकास बोर्ड को नोडल एजेन्सी के रूप में स्थापित करेगा.

2.1 आधारभूत सुविधाएं एवं संस्थागत विकास

पर्यटन की वास्तविक क्षमता के सदुपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा वृहद स्तर पर मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं सुधार व प्रदेश में निवेश हेतु अनुकूल वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है. तद्नुसार राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार कदम उठाये जाऐंगे :

विशेष पर्यटन क्षेत्रों का एकीकृत विकास एवं शासकीय तथा निजी क्षेत्रों के बीच निर्माणात्मक सहभागिता.

पर्यटन क्षेत्रों के विकास हेतु शासन के द्वारा चयनात्मक एवं एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जावेगा. पर्यटन का विकास मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा किया जावेगा एवं शासन एक सुविधापरक व प्रेरणास्रोत की भूमिका निभाएगा. इस उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रदेश शासन द्वारा निम्न कदम उठाए जायेंगे :

* पर्यटन एवं पूंजी निवेश की दृष्टि से प्रमुख पर्यटन क्षेत्र/सर्किट की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारित की जावेगी. उदाहरणार्थ भौगोलिक समानता के सदुपयोग हेतु विरासत संपदा के साथ वन्य प्राणी एवं तीर्थ स्थल सर्किट को जोड़ा जावेगा.
* विशेषज्ञों की सहायता से पर्यटन विकास की दूरदर्शी मास्टर प्लान तैयार कर, पर्यटन क्षमता, स्थानीय आकांक्षाओं एवं संभावित आर्थिक लाभ का मूल्यांकन कर, पर्यटन क्षेत्रों के एकीकृत/गहन विकास पर जोर दिया जावेगा.
* प्रदेश के नगर एवं ग्राम निवेश संस्थाओं की भागीदारी से आर्थिक विकास एवं पर्यटन विकास योजनाओं का एकीकरण किया जावेगा.
* योजनाबद्ध ढंग से प्रमुख स्मारकों के आस-पास के क्षेत्रों में विश्वस्तरीय पर्यटन सुविधा का विकास एवं सौंदर्यीकरण पर बल दिया जावेगा.
* प्रदेश के हथकरघा, हस्तशिल्प, खाद्य एवं वनौषधि जैसे उत्पादों के विक्रय हेतु उपहार केन्द्रों की स्थापना के लिए निर्धारित श्रेणी के होटल को यह आवश्यक होगा कि वह 2 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र राज्य पर्यटन विकास मण्डल को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करावें.
* राज्य अधोसंरचना विकास निगम से समन्वय स्थापित कर अधोसंरचना परियोजनाओं की पहचान एवं प्राथमिकता निर्धारित की जावेगी जिससे पर्यटन क्षेत्रों को आपस में जोड़ने एवं उनका विकास संभव हो सकेगा. इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश शासन, राष्ट्रीय पर्यटन नीति के प्रारूप का अनुकरण करते हुए पर्यटन विकास हेतु "विशेष पर्यटन कोष" की स्थापना पर विचार करेगा, जो सूक्ष्म अधोसंरचना परियोजनाओं एवं पर्यटन परियोजनाओं हेतु राशि की आवश्यकता की पूर्ति कर सकेगा. इससे राज्य शासन एवं निजी क्षेत्र के बीच सहभागिता को प्रोत्साहन मिलेगा.

निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन

* राज्य शासन, अधोसंरचना विकास/वृहद पर्यटन परियोजनाओं को उद्योगों के समतुल्य सहायता सुविधा एवं बिजली दरों में रियायत उपलब्ध करायेगा.
* पर्यटन स्थलों की क्षमता दर्शाने हेतु प्रारंभिक तौर पर नाभकीय अधोसंरचना का निर्माण के उद्देश्य से राज्य शासन विशेष पर्यटन क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को पूंजीगत व्यय का 15 प्रतिशत निवेश अनुदान उपलब्ध करायेगा. जो 20 लाख रु. से अधिक नहीं होगा.
* पर्यटन क्षेत्र के अधोसंरचना विकास में निजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु राज्य शासन शासकीय भूमि विक्रय, पट्टे अथवा संयुक्त क्षेत्र परियोजनाओं हेतु शासकीय अंशदान के रूप में उपलब्ध करायेगा.
* पर्यटन क्षेत्र के विकास की आवश्यकताओं के संदर्भ में करों का युक्तिकरण करना. राज्य शासन विशेष पर्यटन क्षेत्रों में एक निश्चित राशि से ऊपर के निवेश वाली परियोजनाओ को विलासिता एवं मनोरंजन कर से छूट दी जावेगी.

मूलभूत अन्तर्सम्बन्ध एवं मानव संसाधन का विकास

पर्यटन केन्द्रों तक सुगमता से पहुंचने, उनको जोड़ने व पर्यटन उद्योग हेतु मानव संसाधन के विकास हेतु राज्य शासन निम्नानुसार कदम उठायेगा :—

* पर्यटन केन्द्रों हेतु सड़क नेटवर्क का सुधार.
* पर्यटन बसों की संख्या में वृद्धि एवं मुख्य पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सडकों पर सड़क किनारे पर्यटन सुविधाओं एवं पेट्रोल पम्पों का विकास.
* चार्टड उड़ानों को प्रोत्साहित कर वायुयान चलाने हेतु मूलभूत सुविधाओं में सुधार एवं दूरस्थ क्षेत्रों में हेलिकाप्टर सुविधाओं को प्रोत्साहित करना.
* भारतीय रेल्वे के सहयोग से चयनित पर्यटन स्थलों तक पर्यटन रेल प्रारम्भ करने की सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना.
* राज्य के प्रमुख शहरों के हवाई अड्डों, रेल्वे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर अग्रिम भुगतान सुविधाओं की स्थापना.
* सभी पर्यटन स्थलों पर मीटर लगी टेक्सी एवं संचालित भ्रमण सुविधाओं में वृद्धि करना.
* पर्यटन विकास हेतु बनाए जाने वाली एक दूरदर्शी मास्टर प्लान के अन्तर्गत, पर्यटन एवं उससे संबंधित उद्योगों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता के मूल्यांकण हेतु अध्ययन करना.
* मानव संसाधन विकास संस्थाओं के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण सस्थाओं, होटल प्रबंधन, प्रशिक्षण संस्थाओं इत्यादि की विस्तृत क्रम में स्थापना हेतु प्रोत्साहित करना. निजी क्षेत्र के दूरदर्शी प्रवर्तकों को सस्ते दर पर भूमि उपलब्ध कराकर निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना.
* प्राथमिक स्तर तक के कार्यकर्त्ताओं एवं गाइडों के प्रशिक्षण को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करना.

संस्थागत रचनाओं का सशक्तिकरण

पर्यटन क्षेत्र के संवहनीय विकास हेतु एक उत्तरदायी एवं सहायक संस्थागत ढांचे के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निम्नानुसार कदम उठायें जायेंगे :—

* राज्य में एक पर्यटन विकास मण्डल का गठन किया जायेगा जो एक नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करेगी. यह एजेन्सी विकास योजनाओं का निर्माण, निर्णय, पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं से समन्वय, निवेशकों को मार्गदर्शन के साथ पर्यटन प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु आवश्यक सहायता देने का कार्य करेगी. यह मण्डल अन्तरविभागीय (पर्यटन, वन, पी. डब्ल्यू. डी. सिंचाई, कला एवं संस्कृति) समन्वय कर, पर्यटन क्षेत्र में अन्तरसंबंध स्थापित करेगी. बोर्ड में शासकीय सेवकों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जावेगा.
* राष्ट्रीय पर्यटन नीति प्रारूप के आवश्यकतानुसार रायपुर में "पर्यटन भवन" का विकास किया जावेगा जो कि एक "पर्यटन स्वागत कक्ष" के रूप में कार्य करेगा. यह कक्ष पर्यटन, (स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय) की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा. केन्द्र में हवाई एवं रेल आरक्षण, विदेशी मुद्रा काउंटर एवं पर्यटन स्थलों बाबत समस्त जानकारी उपलब्ध रहेगी.
* पर्यटन विकास को विकेन्द्रित करने हेतु "जिला पर्यटन प्रवर्तक परिषदों" की स्थापना की जावेगी. पर्यटन गतिविधियों को वृहद रूप देने हेतु पंचायत राज संस्थायें, सहकारी संस्थाएं संयुक्त वन प्रबंधन समितियां एवं स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से जन भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी.
* पर्यटन व्यापार को व्यवस्थित करने एवं पर्यटन सेवाओं के सुधार हेतु एक "पर्यटन व्यापार विनियम अधिनियम" पारित किया जावेगा. उक्त अधिनियम पर्यटन मंत्रालय, भारत शासन द्वारा जारी आदर्श मार्गदर्शित सिद्धांतों के अनुरूप होगा.

2.2 पर्यटन उत्पादों के प्रदाय में सुधार

राज्य को एक अद्वितीय एक बहुमुखी इष्ट प्रदेश का दर्जा दिलाने हेतु निम्नलिखित सम्भावित क्षेत्रों का विकास किया जावेगा.

* **पारिस्थितिकी पर्यटन (Eco-tourism) :** राज्य स्थानीय सहभागिता के आधार पर प्राकृतिक पर्यटन स्थलों का चयन कर उनके उचित विकास के लिए सक्रिय कार्य करेगा. वन्य प्राणी क्षेत्र, केम्पिंग स्थल, ट्रेकिंग सुविधा जैसे प्रार्थमिक आकर्षण केन्द्रों का विकास किया जावेगा. सोनमुड़ा (मरवाही) मैनपाठ (सरगुजा), केशकाल घाटी (कांकेर), चेंतुरगढ़ (बिलासपुर), बगीचा (जशपुर), कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, तीरथगढ़ जलप्रपात चित्रकोट जलप्रपात (बस्तर) एवं कांगेरघाटी राष्ट्रीय उद्यान, बारनवापारा, सीतानदी, उदंती, अचानकमार अभ्यारण्यों का वन्य प्राणियां एवं प्राकृतिक पर्यटन के रूप में विकास किया जावेगा.

  उपरोक्त के अलावा राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन विकास को बढ़ावा देने हेतु औषधि पौधों की बहुल्यता का लाभ उठाकर, हर्बल उद्यानों का विकास तथा प्राकृतिक स्वास्थ्य के लिए, योगा, आयुर्वेद रेसार्ट आदि के विकास पर बल दिया जावेगा.

* **सांस्कृतिक धरोहर एवं ग्रामीण पर्यटन (Ethnic Tourism) :** राज्य के बहुमूल्य धरोहर को दर्शाने हेतु विरासत सम्पदा जैसे पुराने महल, हवेली एवं बाड़ों के समीप के स्थल एवं ग्रामों का चिन्हांकन कर उन्हें पर्यटन केन्द्र के रूप में

विकसित किया जावेगा इनको राज्य के पारिस्थितिक पर्यटन पथ में समन्वयित कर, संपूर्ण प्रदेश में पर्यटन विकास हेतु केन्द्रित किया जावेगा. इसके अंतर्गत स्थानीय कला एवं शिल्प उत्पादों को भी सम्मिलित किया जावेगा ताकि स्थानीय ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके.

* राज्य शासन यह सुनिश्चित करेगा कि पुरातात्विक धरोहरों का यथोचित एवं व्यवसायिक ढंग से रख-रखाव एवं प्रबंधन हो. भौरमदेव, राजिम, सिरपुर, ताला, मल्हार, एवं शिवरीनारायण को प्रमुख रूप से विरासत धरोहर के रूप में विकसित किया जावेगा. राज्य के सांस्कृतिक विकास हेतु समय-समय पर विभिन्न सांस्कृतिक मेले एवं उत्सवों का आयोजन किया जावेगा. रायपुर में ग्रामीण कला के विकास हेतु एक "रायपुर हाट" नामक शहरी बाजार स्थापित किया जायेगा. ग्रामीण कलाकारों व शिल्पकारों को उनकी कला के पुनर्जीवन एवं विकास हेतु प्रशिक्षण मुहैया कराया जायेगा. स्थानीय त्यौहार जैसे बस्तर का दशहरा, नारायणपुर की मढ़ई, भौरमदेव उत्सव, रावतनाचा उत्सव, चक्रधर समारोह आदि को भी प्रोत्साहित किया जावेगा.

* **साहसिक पर्यटन** : राज्य में साहसिक खेल कूद जैसे ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, नौकायान, जल राफ्टिंग, बंगी जमपिंग, आदि का विकास किया जावेगा. राज्य सरकार साहसिक खेल गतिविधियों के विकास हेतु युवकों/युवतियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था करायेगा जिससे कि राज्य में इन खेल गतिविधियों का विकास हो. इसके लिए महानदी, गंगरेल बांध, माडम-सिल्ली बांध, कोडार बांधों का विकास साहसिक खेलों हेतु किया जावेगा.

* **तीर्थ पर्यटन** : राज्य में तीर्थ पर्यटन विकास के लिए तीर्थ स्थलों में धर्मशाला आदि का विकास किया जावेगा. राज्य में बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए भी बौद्ध पर्यटन केन्द्रों का विकास करके उन्हें वृहद बौद्ध चक्र से जोड़ा जावेगा. राजिम, चम्पारण्य, डोंगरगढ़, शिवरीनारायण, गिरौदपुरी, दन्तेवाड़ा, रतनपुर, सिरपुर को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जावेगा.

* **व्यापार सह मनोरंजन पर्यटन** : राज्य में व्यापार सह मनोरंजन पर्यटन विकास के लिए व्यापार सह मनोरंजन केन्द्रों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जावेगा, जो व्यापारियों को आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति करेगा. इससे व्यापार पर्यटन का विकास होगा. राज्य में स्टेट आफ आर्ट कन्वेन्शन केन्द्रों, सेमीनार हाल आदि की स्थापना को प्रोत्साहित कर कार्पोरेट इवेन्ट्स को बढ़ावा दिया जावेगा. उच्च क्रय शक्ति वाले व्यापारिक पर्यटकों को आवश्यकतानुसार सुविधाएं जैसे होटल्स, मनोरंजन उद्यान, मल्टिप्लेक्स थीयेटर, हेल्थ स्पास, शापिंग सेन्टर, गोल्फ कोर्सस आदि की स्थापना की जावेगी.

2.3 प्रभावशाली विपणन

पर्यटकों के अनुभव में सुधार एवं राज्य को पर्यटन हेतु एक विशिष्ट एवं अनूठे राज्य का दर्जा दिलाने हेतु राज्य शासन एक नवीन विपणन योजना, उद्योगपतियों, हितग्राही एवं स्थानीय जनता के माध्यम से क्रियान्वित करेगा. राज्य शासन :

* विश्वास जागृत करने वाली परियोजनाओं की पहचान कर उनका विकास करेगा जिससे स्थानीय आकर्षण के केन्द्रों पर ध्यान केन्द्रित हो सके.
* पर्यटन से संबंधित सूचना एवं प्रसार हेतु पर्यटन पोर्टल, टच स्क्रीन, इंफारमेशन किओक्स, मल्टी मीडिया, सी. डी. रोम्स का विकास करेगा.,
* समय-समय पर पर्यटन बाजार पर शोध कर, विश्लेषण किया जावेगा जिससे पर्यटकों का पर्यटन झुकाव एवं संतुष्टि मूल्यांकन पर आधारित विपणन नीति का निर्माण किया जा सके.
* सभी पर्यटन केन्द्रों पर पर्यटकों के लिए मैत्रीपूर्ण कदम जैसे मीटर युक्त टैक्सी, कम्प्यूटर आधारित सूचनाएं एवं आरक्षण व्यवस्था, व्यवस्थित शापिंग काम्पलेक्स तथा स्मारिका, ब्रोशर्स, लीफलेट, पेम्पलेट एवं अन्य स्थानीय वस्तुओं की विक्रय की व्यवस्था करेगा.
* मेलों का आयोजन कर स्थानीय व्यंजनों, कला एवं शिल्प, स्थानीय लोक नृत्य को प्रोत्साहित करेगा एवं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों आदि में सहभागिता सुनिश्चित करेगा.
* अन्य राज्यों की पर्यटन विकास मण्डल/निगमों एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित कर एक दूसरे के पर्यटन उत्पादों का विपणन एवं विक्रय सुनिश्चित करेगा.
* पर्यटन के विकास के लिए मौद्रिक एवं अमौद्रिक परितोषिकों की स्थापना करना.
* स्थानीय लोगों से खरीदी में सहभागिता सुनिश्चित करेगा पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकायों, धार्मिक संस्थाएं सहकारी समिति एवं अन्य सामाजिक स्तर की संस्थाओं को प्रोत्साहित करके पर्यटकों के अनोखे अनुभवों का आदान प्रदान में सहायक की भूमिका अदा करेगा.
* पेशेवर विज्ञापन संस्थाओं, जन संपर्क कंपनियों के साथ-साथ निजी क्षेत्रों को शामिल करके विकासोन्मुखी कार्यक्रमों का आयोजन करेगा.

Raipur, the 29th January 2002

No. 49/T/CG/2002.—The State Government hereby notifies the Tourism Policy of the Govt. of Chhattisgarh from the date of issue of the notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
AJAY PAL SINGH, Secretary.

TOURISM POLICY

Table of Contents

Foreword

FOREWORD

The Government of Chhattisgarh is firmly committed to capitalise on its "new State advantage". The State has taken a conscious decision to do away with past legacies and to adopt a fresh approach to economic development. The Tourism Policy reflects these contemporary views of the Government of Chhattisgarh. It is not a modification of any earlier policy and has been developed based on a comprehensive analysis of best practices of other Indian States and countries in the region.

1.0 Strategic Intent And Approch

Chhattisgarh, situated in the heart of India, is endowed with a rich cultural heritage and attractive natural diversity. The State is abundant with ancient monuments, rare wildlife, exquisitely carved temples, Buddhist sites, places, waterfalls, caves and hill plateaus. Most of these sites are untouched and unexplored and offer a unique and alternate experience to tourists compared to traditional destinations which have become overcrowded.

Tourism has very important linkages with other sectors including industry, trade, transportation, hospitality, etc. The Government of Chhattisgarh recongnises these vital linkages as well as the importance of tourism for creating large-scale employment and for promoting social integration.

The Tourism Policy is focused on creating a unique image for the State and to position it as an attractive destination. The specific objectives of this policy are to :—

* Promote economically, culturally and ecologically sustainable tourism in the State.
* Strengthen the quality and attractiveness of the tourism experience in Chhattisgarh.
* Preserve, enrich and showcase the rich and diverse cultural and ecological heritage of the State.
* Increase the contribution of tourism to the economic development of inter-related sectors.
* Encourage and promote private sector initiatives in developing tourism related infrastructure.
* Transform the role of Government to that of facilitator.
* Promote new concepts in tourism such as timeshare, eco-tourism, village tourism, adventure tourism.
* Respect the intellectual integrity and rights of the local communities.

To meet these objectives, the State has identified specific initiatives, which can be broadly classified as under.

* Infrastructure and Institutional Development.
* Tourism Product Offering.
* Marketing.

While implementing this Policy, the State will promote only those initiatives that support sustainable development of the sector and maintain ecological balance. Moreover, the State Government will encourage the involvement of local communities and will specifically elicit their co-operation in preserving, enriching and promoting the State's rich cultural heritage.

Towards this end the State will enact suitable legislation and set up a State Tourism Development Board as the nodal agency for implementation of this Policy and for the sustained development of the sector.

2.1 Infrastructure and Institutional Development

To harness the true potential of tourism, it is necessary to undertake large-scale development/improvement of infrastructure and create a conducive investment climate. Accordingly, the State will take the following measures :—

Integrated Development of Special Tourism Areas and Constructive Collaboration between Government & Private Sector.

The Government will adopt a selective and integrated approach for development of tourism areas. Tourism development will be primarily driven by the private sector with the role of Government being that of a facilitator and catalyst. Towards this end, the State will take the following steps :—

* Identify and priorities important tourist areas/circuits, which have potential for tourism and invest-

ment inflow. For e.g. wildlife and pilgrimage tourist circuits would be linked to heritage properties to exploit geographical congruity.

* Prepare a Perspective Master Plan for tourism development in consultation with experts. Focus will be on integrated/intensive development of tourist destinations after assessing the tourism potential, local aspirations and likely local economic benefits.
* Integrate spatio-economic development plans with tourism development and with the involvement of town and country planning agencies in the State.
* Provide world class tourist facilities, amenities and landscaping of areas around important monuments in a phased manner.
* Assess carrying capacity and promote ecologically, economically and culturally sustainable tourism in the state.
* Make it mandatory for specified class of hotels, resorts to provide 2% of their built up area at nominal charges to the State Tourism Development Board, for allocation to set up 'Gift Centres' to sell Handloom, Handicrafts, Food and Herbal medicines and other such products of the State.
* Work with Chhattisgarh Infrastructure Development Corporation to identify and prioritise specific infrastructure projects, which would help in creating linkages and development of tourist circuits. Towards this end, the State would, in line with the Draft National Tourism Policy, look at the feasibility of creating a special fund for Tourism Development, which would help in bridging the gap for funding critical infrastructure requirements and also support (as equity) specific tourism related projects. This would in turn promote collaboration of the Government with the private sector.

Insentives to the Private Sector :

* Government will give facilities and benefits to tourism projects for the purpose of infrastructure development/mega projects, applicability of electricity tariffs, etc., at par with industry.
* Create nucleus infrastructure in the initial stages of development to demonstrate the potential of the area. Towards this end, the State will give 15% investment subsidy for capital costs on tourism projects in special tourist areas, subject to a maximum of Rs. 20 lakhs.
* Make tracts of Government land available either through sale, lease or as government equity in case of a Joint Venture, for the purpose of promoting private investments in the development of tourism infrastructure.
* Rationalise taxes with reference to developmental needs of tourism sector. The Government will consider providing exemption from luxury and entertainment tax to projects with investment beyond a certain threshold value in special tourist areas.

Develop infrastructure Linkages & Human Resources

In order to improve accessibility, promote connectivity and develop the requisite skills to serve the tourism industry, the State will take the following steps :—

* Improve the road network in tourist locations.
* Enhance the number of tourist coaches and provide wayside amenities along with filling stations or otherwise on all the highways connecting important tourist centres.
* Encourage operation of charter fights and work on upscaling aviation infrastructure. Give impetus to Helicapter services to areas not serviceable otherwise.
* Evaluate the feasibility of launching a tourist train in collaboration with the Indian Railways on identifid tourist circuits.
* Set up pre-paid counters at airports, railway stations and bus stands in major cities in the State.
* Increase the number of metered taxis, conducted tours in all places of tourist interest.
* Undertake a training needs assessment study for tourism and related industries as part of the Perspective Master Plan for tourism development.
* Encourage the setting up of a wide array of HRD institutions including vocational training institutes, Hotel Management, Training Institutes, etc. Private Participation would be encouraged by making land available at concessional rates to pro spective private sector promoters.
* Streamline and strengthen training of guides and other grass root level workers.

Strangthen the Institutional Mechanism

To provide a conducive and responsive institutional framework for sustained development of the tourism sector, the Government of Chhattisgarh will take the following steps :—

* Set up the State Tourism Development Board (STDB) as the nodal agency for formulating strategic plans, decision making, co-ordinating with various bodies and agencies involved in tourism providing necessary assistance for setting up tourism projects including an escort service to

investors. The Board would ensure inter-departmental co-ordination i.e between Tourism, Forest, PWD, Irrigation, Arts & Culture etc., for collaborative development of the tourism sector. The composition of the Board will include government officials as well as representatives from the private sector.

* Set up a Paryatan Bhavan at Raipur, in line with the requirements of the Draft National Tourism Policy, as a one-stop tourist reception centre. This would cater to various needs of travellers, foreign as well as domestic, offer air and train reservations, foreign exchange counters and information about all tourist centres.
* Set up District Tourist Promotion Councils to decentralise tourism development. People's participation including Panchayati Raj institutions, co-operatives, Joint forest Management Committees and local communities will be encouraged to achieve a wider spread of tourist activities.
* Enact a Tourism Trade Regulation Act for improving services and regulating tourism trade in line with the proposed model quidelines to be circulated by the Ministry of Tourism, Government of India.

2.2 Improve Tourism Product Offering

In order to position the State as a unique multi-attraction tourism destination, the State has identified the following potential areas for development.

* **Eco-tourism**—The State will actively identify apportunities to promote nature-based tourism with increased local participation. wildlife areas, camping grounds and trakking facilities would be few of the prime attraction facilities. Sonmoda (Marwahi). Mainpat (Sarguja). Keshkal valley (Kanker). Chaiturgarh (Bilaspur), Bagicha (Jashpur), Kutumbsar caves, Kailash caves, Tirathagarh falls, Chitrakot falls (Bastar) as well as Kanger Valley National Park, Barnawapara Sanctuary, Sitanadi Sanctuary, Udanti Sanctuary, Achanakmar Sanctuary will be promoted as desti nations for nature and wildlife tourism respectively.

  As part of its drive to promote Eco-Toursim, the State will leverage on its wealth of medicinal plants to encourage development of herbal gardens and natural health resourts of Yoga and Ayurveda as places of tourist attraction.

* **Culture, Heritage & Village (Ethnic) Tourism**—in order to showcase its rich heritage. the State will identify and develop villages and heritage properties i.e. old palaces, havelis, baras as places of tourist interest. These will be integrated with ecotourism circuits to ensure that tourism develpment across the State. is focused. This product offering will also showcase local art and craft and provide a fillip to rural employment. The State will ensure proper maintenance and professional site management of important heritage sites/monuments. Bhoramdev, Rajim, Sirpur, Tala. Malhar and Shivrinarayan are some of the archeaological sites that will be promoted as prime sites for heritage tourism.

  The State will periodically organise fairs and festivals to promote its rich culture. An artisan village cum craft part i.e. 'Urban Haat' will be set up at Raipur. Financial assistance and training will be provided to artisans and craftsmen to revive local art and hand crafted products. Festivals like Dusshera at Bastar. Madhai of Narayanpur. Bhoramdev, Raut Nacha, Chakaradhar Samaroh will also be promoted.

* **Adventure Tourism**—The State will promote adventure sports such as trekking. rock climbing. canoeing water rafting, bungee jumping. etc. The State Government shall make efforts to pro vide training to youth so that they are able to take up these activities on commercial basis and ensure the enforcement of safetystandards. Mahanadi river, Gangrel dam. Madamsilli dam. Kodar dam will be developed to cater to the needs of adventuretourits.

* **Pilgrim Tourism**—The State will also focous on the development of pilgrimage centres by creating necessary facilities like Dharamsalas. The State will also develop sites for Buddhist pilgrims and be comepart of the wider Buddhist circuit. Rajim. Champaranya, Dongargarh. Sheorinarayan. Girodhpuri, Dantewada. Ratanpur. Sirpur would be promoted as prime destination for domestic and international pilgrim tourism.

* **Business cum Entertainment Tourism**—The State will encourage setting up of business cum recreation centres to cater to the needs of business travellers to exploit the potential of business tourism. Setting up state-of-the-art convention centres. seminar halls. etc.. for corporate events will be encouraged. In order to cater to the entertainment needs of business tourists with high purchasing power. facilities such as hotels. entertainment parks. multiplex theatres. health spas. shopping

centres, golf courses would also be set up.

2.3 Effective Marketing

In order to improve tourist perception and project the State as a unique and desirable State to visit, the Government would implement a marketing strategy in collaboration with industry stakeholders and local populace. The Government will :—

* Identify and promote anchor projects to precipitate the emergence of local attractions.
* Develop a tourism portal, touch screen information kiosks, multi media CD-ROMs for dissemination of tourism related information.
* Carry out market research at regular intervals to monitor tourist trends, conduct satisfaction surveys and adapt marketing strategies accordingly.
* Implement tourist friendly initiatives like mtered taxis, introduction of computer based information and reservation systems, setting-up a chain of exclusive shops for sale of sourvenirs, distribution of brochures, leaflets and other local items at all important tourist places.
* Organise fairs for promoting loal cuisine, art and craft, folk songs and dances and participating in national/international fairs, trade shows.
* form joint tie-ups with the tourism development [illegible]rds/corporations of various Indian States and [illegible]rnational Bodies for reciprocal sales and marketing of each other's travel & tourism products.
* Institute monetary and non-monetary awards to promote excellence in tourism.
* Facilitate the participation and buy-in of the local people, Panchayati Raj Institutions, local bodies, religious trusts, co-operatives, and other community level institutions to promote crossselling of the unique experience to visitors.
* Hire professional advartising agencies and public relations companies as well as involve private sector in planning and executing the promotional campaigns.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 मई 2002

क्रमांक 3627/डी-878/21-अ (स्था.)/छग.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के अर्द्ध-शासकीय पत्र क्रमांक 46/II-2-101/2001/गोप./2002, दिनांक 10-5-2002 के अनुपालन में श्री आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सचिव के पद पर अन्य आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2002

क्रमांक एफ 5-2/खाद्य/2002/29.—मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-31/97/29-2, भोपाल, दिनांक 28 जनवरी, 2000 में आंशिक संशोधन करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम, बिलासपुर के साथ सम्बद्ध जिला उपभोक्ता फोरम, जशपुर को एतदद्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, सरगुजा से सम्बद्ध किया जाता है. अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, सरगुजा, जिला उपभोक्ता फोरम, जशपुर के भी अध्यक्ष होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

रायपुर दिनांक 10 मई 2002

क्रमांक एफ 5-2/खाद्य/2002/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10-5-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

Raipur, the 10th May 2002

No. F 5-2/Food/2002/29.—Vide Government of Madhya Pradesh, Deptt. of Food, Civil Supplies and Consumer Protection, Mantralaya, Bhopals Notification No. F-31/97/29-2, Bhopal, dt. Jan. 28, 2000 District Consumer Forum, Jashpur was linked with District

Consumer Forum, Bilaspur. District Consuer Forum, Jashpur is hereby linked with District Consumer Forum, Bilaspur by partially amending the said notification.

The President of District Consumer Forum, Sarguja will be the President of District Consumer Forum, Jashpur.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. C. GUPTA, Under Secretary.

रायपुर, दिनांक 16 मई 2002

क्रमांक 1217/खाद्य/2002/29.—डॉ. ए. के. पाठक, उप-नियंत्रक, नापतौल, रायपुर को दिनांक 20-5-2002 से 14-6-2002 तक 26 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 18-5-2002 से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. उक्त अवकाश से लौटने पर डॉ. ए. के. पाठक को पुनः उप-नियंत्रक, नापतौल, रायपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में डॉ. ए. के. पाठक को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. डॉ. ए. के. पाठक के अवकाश अवधि में श्री जे. के. जैन, सहायक नियंत्रक, नापतौल, बिलासपुर अपने मूल पद के कर्त्तव्यों के साथ-साथ उप-नियंत्रक, नापतौल, रायपुर का कार्य भी संपादित करेंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. ए. के. पाठक यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. गुप्ता, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2002

क्रमांक एफ-6-22/2001/राजस्व.—छत्तीसगढ़ भू- राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा :—

(1) यह निर्देश देता है कि साधारण राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से पेण्ड्रारोड तहसील की सीमायें इस प्रकार परिवर्तित की जायेगी कि जिसमें विकास खंड मरवाही के अंतर्गत आने वाले प. ह. नं. 12 के ग्राम खैरझिटी, तौली, पिपरिया, पंडकुरी, प. ह. नं. 13 ग्राम झिरनापोड़ी, प. ह. नं. 18 के ग्राम कोटरबर्रा, खन्ता, लखनवाही, सपनी एवं प. ह. नं. 19 के बरवासन, गुमाटोला, मेढका, मस्कुरा एवं दर्री कुल 14 ग्रामों को छोड़कर प. ह. नं. 1 से 18 के कुल 86 ग्राम तहसील पेण्ड्रारोड से अपवर्जित हो जाय, और

(2) उक्त तारीख से विकास खंड मरवाही के अंतर्गत आने वाले प. ह. नं. 1 से 18 के उक्त 86 ग्रामों को समाविष्ट करते हुये, राज्य शासन एक नवीन मरवाही तहसील सृजित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2002

क्रमांक एफ-6-22/2001/राजस्व.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-6-22/2001/राजस्व, दिनांक 22-5-2002 की अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. यू. खान, अवर सचिव.

Raipur, the 22nd May 2002

No. F-6-22/2001/Revenue.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby :—

(1) Direct that with effect from the date of publication in the ordinary Gazette, the limits of pendra Road Tahsil shall be so altered as to exclude 86 Villages of Patwari Halka No. 1 to 18 except village Khairjhiti, Touli, Pipariya, Pandkuri, of PCN. 12, Jhirnapondi of PCN. 13, Kothharra, Khanta, Lakhanwahi, Sapani of PCN. 18 and Barbasan, Gumatola, Meduka, Maskura, Darri village of PCN. 19 Total 14 villages, of Block Marwahi from Tahsil Marwahi, and

(2) Creats, with effect from the said dated a new Tahsil Marwahi comprising of above 86 villages of Patwari Halka No. 1 to 18 of Block Marwahi.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. U. KHAN, Under Secretary.

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2002

क्रमांक 94/2002/स्था./चार.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2002 है.

(2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वे निरस्त या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश वित्त तथा लेखा सेवा (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965.
2.	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965.
3.	मध्यप्रदेश कोषालयीन लिपिक सेवा (भरती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1965.
4.	मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1991.
5.	मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा भरती नियम, 1969.
6.	मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निभि लेखा परीक्षा लिपिक वर्गीय सेवा भरतो नियम, 1967.
7.	मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1966.
8.	मध्यप्रदेश संस्थागत वित्त संचालनालय (तृतीय श्रेणी) सेवा भरती नियम, 1991.

Raipur, the 27th May 2002

No. 94/2002/Estta./IV.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

ORDER

1. (1) This order may be called the Adaptation order, 2002.

(2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November, 2000.

2. The laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this Order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh are hereby extended and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended Subject to the modification that in the Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rules, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the Laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Laws (2)
1.	Madhya Pradesh Finance and Accounts services (Recruitment and conditions of service) rules, 1965.
2.	Madhya Pradesh Subordinate Accounts Services (Recruitment and Conditions of Service) rules. 1965.
3.	Madhya Pradesh Treasury ministrial services (Recruitment and conditions of service) rules, 1965.
4.	Madhya Pradesh Local Fund Audit (Gazetted) services Recruitment rules, 1991.
5.	Madhya Pradesh State Local Fund Audit Subordinate Accounts services Recruitment rules, 1969.
6.	Madhya Pradesh State Local Fund Audit Ministrial services Recruitment rules, 1967.
7.	Madhya Pradesh Local Fund Aduit Class IV services Recruitment rules. 1967.
8.	Madhya Pradesh Directorate of Institutional Finance (Class III) services Recruitment rules, 1991.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

विषय :—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद की नियमावली 2002.

क्रमांक 2050/ऊ. वि./वि. क. अ./2002.—विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 78 की उपधारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन निम्नलिखित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद् नियमावली 2002 बनाता है जो निम्नानुसार है :—

1. इस नियमावली को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद नियमावली 2002 कहा जायेगा.

2. इस नियमावली को जब तक प्रसंग में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(एक) अधिनियम से आशय विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 से हैं.

(दो) नियुक्त सदस्य से आशय मण्डल के सदस्य को छोड़कर परिषद् के उस सदस्य से होगा जो कि इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो.

(तीन) मण्डल से आशय इस अधिनियम की धारा पांच (5) के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल से है.

(चार) अध्यक्ष से आशय परिषद् के अध्यक्ष से है, और

(पांच) परिषद से आशय इस अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्श दात्री परिषद् से है.

3. (1) प्रत्येक नियुक्त सदस्य, अपनी नियुक्ति पश्चात् पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिये अपने पद पर रहेगा.

(2) उप नियम (1) के अंतर्गत नियुक्त सदस्य को पदावधि के समाप्त हो जाने पर भी वह सदस्य

तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसकी पदावधि की समाप्ति के फलस्वरूप रिक्त हुये स्थान की पूर्ति यथोचित रूप से नहीं हो जाती.

4. राज्य शासन किसी भी समय किसी भी सदस्य को, उसकी पदावधि समाप्ति के पहले भी, निम्नलिखित कारणों से अलग कर सकता है :—

(एक) यदि मानसिक/शारीरिक अस्वस्थता के कारण कार्य में अक्षम हो.

या

(दो) यदि शासन की राय में वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह न कर सकता हो या कर सकने योग्य न हो जिससे कि उसे अलग किया जाना आवश्यक हो गया हो.

या

(तीन) यदि वह नैतिक पतन के किसी अपराध में दोषी सिद्ध हुआ हो.

या

(चार) यदि वह परिषद् की तीन लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा हो.

5. मण्डल का सचिव परिषद् का पदेन सचिव होगा.

6. नवनिर्मित परिषद्, अपनी पहली बैठक में या स्थान रिक्त होने पर, किसी एक सदस्य को बहुमत के आधार पर "उपाध्यक्ष" चुनेगी.

7. उपाध्यक्ष किसी भी समय अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर, अनुमति पश्चात् पदत्याग कर सकेगा व पदत्याग करने की स्थिति में ऊपर क्रमांक 6 में बताये अनुसार नये उपाध्यक्ष का चुनाव कर लिया जायेगा.

8. परिषद् की बैठक बुलाने एवं संचालन की प्रक्रिया :—

(i) परिषद् की बैठक हेतु तिथि, स्थान व समय दर्शाते हुए लिखित सूचना सामान्यत: 7 दिन पूर्व व विशेष आपात स्थिति में अल्पावधि में अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा अधिकृत करने पर उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी की जा सकेगी.

(ii) परिषद् की बैठक के पूर्व नियत बैठक में चर्चा संबंधित कार्यसूची सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को उपलब्ध करायी जायेगी.

(iii) अध्यक्ष की अनुमति से, कार्यसूची में लेख नहीं होते हुए भी किसी अति महत्वपूर्ण विषय पर, परिषद् चर्चा कर सकेगी.

(iv) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किसी बैठक का संचालन उपाध्यक्ष द्वारा किया जा सकेगा व उपाध्यक्ष के न होने की अवस्था में, उपस्थित सदस्य, अपने में से किसी एक को पीठासीन अधिकारी नियुक्त करते हुए उसे बैठक के संचालन हेतु नियुक्त कर सकेंगे. लेकिन पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केवल उक्त विशेष बैठक के लिये ही प्रभावशील होगी.

सारांश में किसी बैठक का संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या इन दोनों के न होने पर चयनित पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा.

9. यदि अध्यक्ष का यह मत हो कि धारा 16 की उपधारा (5) के अंतर्गत परिषद् के कर्त्तव्यों के निर्वाह के प्रयोजनार्थ परिषद् की किसी बैठक में मण्डल के काम काज संबंधी किसी विशेष प्रश्न पर चर्चा करना या उसका उत्तर देना आवश्यक नहीं है, एवं यदि ऐसे किसी प्रश्न पर चर्चा करना या उसका उत्तर देना लोकहित के प्रतिकूल हो तो, वह ऐसे किसी प्रश्न पर चर्चा नहीं होने देगा या उसका उत्तर नहीं देगा.

10. यदि अध्यक्ष वांछनीय या आवश्यक समझे तो वह मण्डल के किसी ऐसे अधिकारी को जो कि परिषद् का सदस्य न हो, परिषद् की किसी बैठक में आमंत्रित कर सकता है और ऐसे आमंत्रण पर ऐसा अधिकारी अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा में भाग ले सकता है किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा.

11. (1) अध्यक्ष, ऐसे समय जब वह आवश्यक समझे या परिषद् के कुल सदस्यों में से कम से कम एक तिहाई सदस्यों के निवेदन पर, परिषद् की विशेष बैठक बुलायेगा.

(2) यदि सदस्यों को बैठकों के बीच बुलाया जाना इस अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4)

के अंतर्गत अपेक्षित है, एवं किसी विषय पर परामर्श करना आवश्यक है, तो अध्यक्ष उस दशा में कागज पत्रों को परिषद् के सदस्यों के बीच घुमाकर (सरकुलेट कर) उनकी राय सुनिश्चित कर लेगा. इस प्रकार प्राप्त बहुमत को परिषद् का निर्णय मान लिया जायेगा.

12. परिषद् का कोई भी कार्य किसी भी बैठक में तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कम से कम चार सदस्य उस बैठक में उपस्थित न हो.

13. (i) परिषद् की बैठक में सभी प्रश्न का निर्णय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा.

(ii) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, बैठक का संचालन करने के लिये चुने गये पीठासीन व्यक्ति को मत देने का अधिकार होगा और बराबर-बराबर मत आने की स्थिति में वह निर्णायक या दूसरा मत दे सकेगा.

(iii) यदि मतदान की मांग की जाय तो बैठक का अध्यक्ष मत देने वाले सदस्यों के नाम और मतों का स्वरूप लेखबद्ध करेगा.

14. सचिव द्वारा प्रत्येक बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम उनके हस्ताक्षर एवं बैठक की कार्यवाही विवरण को एक कार्य-पुस्तिका में लेखबद्ध किया जायेगा. बैठक पुस्तिका में निर्णय आदि पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे.

15. किसी बैठक की कार्य विवरण की पुष्टि परिषद् की अगली बैठक में सबसे पहले की जायेगी और उस पर यथास्थिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी द्वारा और सचिव द्वारा हस्ताक्षर किये जावेंगे.

16. किसी नियुक्त सदस्य को उतना ही यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलेगा जितना कि मण्डल के किसी अवैतनिक सदस्य को दिया जाता है. अध्यक्ष ऐसे सदस्यों के यात्रा भत्ता बिलों पर प्रतिहस्ताक्षर करने वाला नियंत्रक अधिकारी होगा.

17. परिषद् का कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की लिखित पूर्वानुमति के बिना परिषद् के सदस्य को छोड़ किसी भी अन्य व्यक्ति को परिषद् के कार्यों की किसी प्रकार की जानकारी नहीं देगा. गोपनीयता भंग करने की अवस्था में ऐसे व्यक्ति को किसी भी पुस्तक, दस्तावेज या परिषद् के कार्य से संबंधित किन्हीं भी गोपनीय समझे जाने वाले अन्य कागज पत्रों को देखने नहीं दिया जायेगा व उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी.

रायपुर, दिनांक 21 मई 2002

क्रमांक 2052/ऊ. वि./2002.—विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद् का गठन करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

क्रमांक (1)	संस्था (2)
1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का अध्यक्ष.
2.	महाप्रबंधक, भिलाई इस्पात संयंत्र/अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
3.	संभागीय रेल प्रबंधक, बिलासपुर अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
4.	संचालक, नगर प्रशासन.
5.	महाप्रबंधक राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कोरबा/सीपत.
6.	छत्तीसगढ़ उद्योग महासंघ के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
7.	छत्तीसगढ़ चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
8.	श्रम आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन अथवा उनके प्रतिनिधि.
9.	महाप्रबंधक, भारतीय संचार निगम, रायपुर.
10.	मुख्य विद्युत निरीक्षक, छत्तीसगढ़ शासन.
11.	संचालक, कृषि.
12.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेन्सी (क्रेडा) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि.
13.	उपभोक्ता संरक्षक मंच से जय प्रकाश मेमोरियल सेन्टर, किरन्दुल, बस्तर संभाग, श्री एम. पी. पाण्डेय, सचिव.
14.	अध्यक्ष, छ. रा. विद्युत मण्डल द्वारा नामित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के अध्यक्ष, राज्य विद्युत परामर्शदात्री परिषद् के पदेन अध्यक्ष होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2002

क्र. 45/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कंचनडीह	4.279 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2002

क्र. 46/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	धनौली	0.272 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	खुदरी जलाशय फीडर नहर कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2002

क्र. 47/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पड़रिया	0.814 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मरवाही, मुख्यालय पेण्ड्रारोड.	घाघरा जलाशय के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 मई 2002

क्र. 4146/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	भदेरानवागांव	3.65 एकड़	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग राजनांदगांव.	भदेरानवागांव उद्‌वहन सिंचाई योजना के नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी का कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 मई 2002

क्र. 4198/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	गोपालपुर प. ह. नं. 8	0.52 ए.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	रूसे जलाशय के अंतर्गत नहर नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी का कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 मई 2002

क्र. 4200/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	तोरनकट्टा प. ह. नं. 24	0.75 ए.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	तोरनकट्टा उद्वहन योजना के मुख्य नहर नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी का कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 मई 2002

क्र. 4201/भू-अर्जन/2002—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	आरला प. ह. नं. 31	0.87 ए.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	शिवनाथ व्यपवर्तन के मुख्य नहर एवं पारीखुर्द उप नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू अर्जन अधिकारी का कार्यालय, राजनांदगांव में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/11/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	छपोरा	2.010 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 17 का निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/12/अ-82/2001-2002..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	दुम्हानी	2.351 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 16 का निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/13/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	दुरूमगढ़	3.430 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 18 का निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/14/अ-82/2001-2002..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	बेल टिकरी	1.187 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 18 का निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/16/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	माहुलडीह	1.322 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 16 का निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 1 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/17/अ-82/2001-2002..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	नकटीडीह	3.259 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक नहर वितरक शाखा क्र. 18 का निर्माण कार्य.

रायपुर, दिनांक 10 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/1 अ-82 वर्ष 2000-2001..—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	मंदिरहसौद प. ह. नं. 73	2.464 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायपुर.	नवागांव पोषक नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/2 अ-82 वर्ष 2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	आरंग	मंदिरहसौद प. ह. नं. 73	2.205 हे.	कार्यपालन यंत्री, महानदी जलाशय परियोजना द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	योजना वितरक शाखा क्रमांक 17 एवं 17 का माइनर क्र. 1 के विस्तार हेतु.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/35/अ-82 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	धनसीर प. ह. नं. 8	1.832 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	धौराभाटा जलाशय धनसीर माइनर नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 27 मई 2002

रा. प्र. क्र. 21/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	राजपुर	वदौली	0.249 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2, अंबिकापुर.	बदौली तालाव नहर में आई भूमि का शेष कृषकों को मुआवजा.

भूमि का नक्शा व प्लान कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उपसचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 मई 2002

क्र. क/भू-अर्जन/ 2.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू- अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	बलौदा प. ह. नं. 11	0.109 हे.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग जांजगीर-चांपा.	ठड़गा बहरा जलाशय के अंतर्गत बांयीतट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा व (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 7 जून 2002

क्र. अ-82/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, उस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	परसाडीह प. ह. नं. 14	59.78	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	परसाडीह जलाशय में डुबान में आई जमीन.

भूमि का नक्शा व प्लान अनुविभागीय अधिकारी डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 16 मई 2002

क्रमांक 4144/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम- उपरवाह, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.32 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1872	1.66
	1873	1.66
योग	2	3.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-उपरवाह जलाशय के डूबान क्षेत्र में प्रभावित.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 16 मई 2002

क्रमांक 4145/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए

आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम- रेंगाकठेरा, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.56 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2361/2	0.15
2476/2	0.34
2402/3	0.17
2318	0.06
2482/4	0.17
2142/1	0.17
1038/3	0.35
830/2	0.15
योग 8	1.56

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेंगाकठेरा जलाशय के नहरनाली/बांधपार हेतु.

(3) भूमि के नक्शे प्लान का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 मई 2002

क्रमांक 4199/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम- हरदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.02 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
541	0.52
568	0.50
योग 2	1.02

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भानपुरी व्यपवर्तन नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 मई 2002

क्रमांक 4202/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम- बिल्हारी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
44	0.30

(1)	(2)
43	0.10
योग 2	0.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मनकी जलाशय स्पील नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. के. श्रीवास्तव, कलेक्टर, एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1204/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुंडरदेही
- (ग) नगर/ग्राम- खुरसुनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.29 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
1604	0.37
1579	0.12
1581	1.00
1564	0.15
1566	0.01
1208	0.77
1606	1.00
1592	0.39
1580/1	0.04
1582	0.16
1565	0.40
1567	0.04
1212	0.22
1211	0.25
1588	0.32
1580/2	0.04
1583	0.37
1605	0.61
1562	0.22
1213	0.15
1587	0.20
1580/3	0.04
1578/1	0.92
1603	1.11
1563	0.22
1214	0.17
योग 26	9.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मटिया मोती नाला नहर निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी ,पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1205/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुंडरदेही

(ग) नगर/ग्राम- माहूद

(घ) लगभग क्षेत्रफल-25.07 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
771	0.13
1132	1.36
1114/1	0.98
827/1	0.32
485/3	0.27
475	0.54
789	0.03
1131	0.16
1027/1	0.52
770	0.12
1130	0.26
1110	0.26
458	0.59
1027/3	0.09
484	0.30
785	0.27
459	0.33
828	0.05
768	8.07
822/2 822/3	0.04
414	0.85
451/2	0.58
418	0.02
479	0.09
1111/3	0.45
787	0.15
477	0.10
415/2	0.08
1255	0.58
1104/2	0.02
1133	0.18
827/3	0.44
485/4	0.20
1105/2	0.20
478	0.12
783	0.02
1027/2	0.04
423/2	0.58
784	0.52
480	0.10
1135	0.08
421	0.03
1027/4	0.05
827/2	0.56
1111/1	0.01
1106/2	0.02
1099/2	0.34
457/2	0.52
1244	0.12
1242	1.22
457/1	0.17
1108	0.42
482	0.16
485/2	0.26
1105/5	0.27
474/2	0.70
422/2	0.20
452	0.01
1113/1	0.12
1114/2	0.66
826	0.10
485/1	0.28
1105/3	0.39
416	0.35
377	0.40
1026	0.20
796	0.38
1005/4	0.35
1107	0.95
417	0.34
1025	0.24
1245	0.64
822/1	0.03
423/1	0.38

(1)	(2)
794	0.04
422/1	0.20
586	0.37
377	0.03
1290	
424	0.04
795	0.02
481	0.74
444	0.10
460	0.28
474/1	0.36
788	0.01
योग 86	25.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मटिया मोती नाला नहर उप-संभाग क्रमांक-3.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1206/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-दुर्ग
   (ख) तहसील-गुंडरदेही
   (ग) नगर/ग्राम- खुरसुल
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.85 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1	0.15

(1)	(2)
2	0.80
3	0.25
4	0.65
योग 4	1.85

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1207/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-दुर्ग
   (ख) तहसील-गुंडरदेही
   (ग) नगर/ग्राम- बघेली
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.48 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
895/1	0.40
959/2	0.03
958	0.15
951	0.06
922	0.10
909	0.40
908	0.44
736/14	0.36
735	1.60

(1)	(2)
962	0.21
959/3	0.04
955	0.05
952	0.35
921	0.10
919	0.30
910	0.20
736/1	0.39
960	0.17
959/1	0.03
957	0.20
956	0.10
927	0.04
918	0.25
920	0.20
736/6	0.20
736/4	0.05
915	0.06
योग 27	6.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट नहर परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु.दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1208/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुंडरदेही

(ग) नगर/ग्राम- गुडेला

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.86 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
751	0.06
762	0.06
755	0.30
661/1	1.45
753	0.35
756	0.37
666	0.12
662/1	0.70
761	0.75
757	0.15
665	0.55
योग 11	4.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोंहदी-पाट नहर परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 मई 2002

क्रमांक 1209/अ-82/2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-गुंडरदेही

(ग) नगर/ग्राम- मोंहदीपाट

(घ) लगभग क्षेत्रफल-20.03 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
546/1	0.20

(1)	(2)	(1)	(2)
466/2	0.05	367/2	0.02
554/1	0.10	354/2	0.40
545/4	0.20	361/1	0.20
553/1	0.12	359/1	0.03
550/2	0.01	363/2	0.02
555/2	0.20	546/2	0.40
529/1	0.40	545/1	0.30
533/1	0.15	360/1	035
467/4	0.30	552/1	0.30
526	0.01	543/2	0.45
524/2	0.04	554/5	0.75
503/4	0.25	466/5	0.35
461/3	0.01	534/1	0.20
462/3	0.12	534/6	0.30
467/3	0.20	533/2	0.10
394/3	0.60	533/3	0.10
368/1	0.40	527/4	0.05
361/3	0.10	466/1	0.25
365/2	0.20	461/1	0.05
354/1	0.35	462/2	0.30
362/2	0.60	365/3	0.05
340/12	0.35	394/2	0.12
503/8	0.20	377/1	0.15
546/3	0.07	333/1	0.10
545/2	0.06	368/3	0.05
544/1	0.05	367/3	0.25
540/1	0.02	365/4	0.02
554/3	0.05	361/6	0.17
503/3	0.37	339/3	0.10
556/1	0.50	556/4	0.10
534/5	0.05	553/2	0.20
339/1	0.12	545/3	0.01
464	0.27	543/1	0.10
527/3	0.40	552/2	0.50
503/2	0.10	550/1	0.10
474/1	0.55	591/4	0.35
462/1	0.12	534/2	0.05
463	0.35	361/2	0.30
394/1	0.30	530	0.30
377/3	0.40	531	0.20
390/3	0.35	525	0.35
360/2	0.40	591/1	0.10

(1)	(2)
461/2	0.10
462/4	0.01
459/2	0.10
361/4	0.01
390/2	0.30
333/2	0.10
367/1	0.05
365/1	0.35
364	0.25
360/2	0.33
340/11	0.15
योग 96	20.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नहर परियोजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, पाटन मु. दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केसरी, कलेक्टर एवं पदेन अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 22 मई 2002

रा. प्र. क्र./01/अ-82/2000-2001—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा
(ख) तहसील-अम्बिकापुर
(ग) नगर/ग्राम- केशगंवा एवं खोडरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.183 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
707	0.101
701	0.012
715/1	0.048
200/1	0.048
447/1	0.040
439/3	0.048
205	0.021
702	0.024
212/1	0.045
213/1	0.073
450	0.081
438	0.036
716	0.057
672	0.016
196	0.024
207	0.089
452	0.048
441/1	0.081
699	0.048
703	0.089
201/1	0.073
198	0.041
441/5	0.004
439/1	0.036
योग	1.183

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खोडरी जलाशय योजना का शाखा नहर निर्माण

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.